

प्रेषक,

बालकराम बासवान,  
वित्त नियंत्रक  
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रेषित,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
रूद्रप्रयाग/नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

संख्या 640

/लॉसिं0/बजट-आवंटन(नाबाई)/2025-26

दिनांक : 05 जुलाई, 2025

विषय:-

नाबाई वित्त पोषित RIDF-XXVIII एवं RIDF-XXX योजनान्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या E-38948/441/II(3)/2025-03(08)/2022 दिनांक 04-07-2025 एवं शासनादेश संख्या E-75789/442/II(3)/2024-03(07)/2024 दिनांक 04-07-2025 के द्वारा वर्ष 2025-26 में नाबाई वित्त पोषित RIDF XXVIII एवं RIDF-XXX योजनान्तर्गत सम्बन्धित खण्डों की निर्माणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः रु0 11.1195 लाख (ग्यारह लाख ग्यारह हजार नौ सौ पचास) एवं रु0 1054.12310 लाख (दस करोड़ चवन लाख बारह हजार तीन सौ दस), कुल रु0 1065.2426 लाख (दस करोड़ पैंसठ लाख चौबीस हजार दो सौ साठ) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग के अनुमोदनोपरान्त, उक्त सन्दर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित खण्डों को निम्नानुसार धनराशि निर्गत की जा रही है:-

अनुदान संख्या-20

लेखाशीर्षक 4702-00-800-98-01

(धनराशि लाख रु0 में)


DDO कोड	खण्ड का नाम	कोषागार	निर्गत धनराशि
2235	लघु सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	378.402
2235	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	नैनीताल	209.339
2235	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	11.1195
2235	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	466.3821
		योग :-	1065.2426

(रूपये दस करोड़ पैंसठ लाख चौबीस हजार दो सौ साठ मात्र)

अतः उक्तानुसार सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड को रु0 1065.2426 लाख मात्र की धनराशि का निर्गमन संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार सम्बन्धित खण्ड के निर्वर्तन पर व्यय हेतु किया जाता है।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय


  
(बालकराम बासवान)  
वित्त नियंत्रक

संख्या /लॉसिं0/आवंटन(नाबाई)/2025-26, दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्न को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 4- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) में इंगित प्राविधानानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) में इंगित प्राविधानानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उक्तानुसार।

  
(बालकराम बासवान)  
वित्त नियंत्रक